स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/61 बाजपुर
जारी तिथि लागू तिथि

# परिशिष्ट – क IV

# बाजपुर स्टेशन पर स्थित ट्रैफिक समपार फाटक सं. 23 'बी' के संचालन हेतु अनुदेश

1. विवरण

1.1 सामान्य –

(1) समपार फाटक की संख्या : 23 श्रेणी : बी

(2) इंजीनियरिंग/यातायात फाटक : ट्रैफिक

(3) अधीन स्टेशन अधी0/रेल पथ निरिक्षक : स्टेमा/बाजपुर

(4) किलोमीटर पर स्थित : 38/11–12

(5) स्टेशन बाजपुर

(6) स्टेशन मध्य : बाजपुर एवं काशीपुर

(7) बी0जी0/एम0जी0/एन0जी0 : बी.जी.

(8) इकहरी/दोहरी/मिश्रित : इकहरी

(9) सामान्य स्थिति : सड़क यातायात के लिए खुला

(10) इण्टरलाक्ड/नानइण्टरलाक्ड : इंटरलॉक्ड

(11) इण्टरलाकिंग का प्रकार : ई.के.टी. द्वारा स्टेमा. लाक अप बाक्स से इण्टरलॉक्ड

(12) गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर

(i) डाउन लाइन : नही

(ii) अप लाइन : नही

(13) संकेतन व्यवस्था : लोवर क्वाड्रेन्ट सेमाफोर सिगनल

(14) संचार साधन टेलिफोन/घंटी : टेलीफोन स्टे.मा. /बाजपुर से सम्बद्ध

(15) समपार फाटक की चौड़ाई : 5.00 मीटर

(16) सड़क का प्रकार (एन0एच0/एस0एच0/अन्य) : अन्य

(17) सड़क का नाम : मुड़िया सुगर फैक्ट्री रोड

( के0 एस0 सोनाल )
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अतुल सिंह )
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/61 बाजपुर
जारी तिथि लागू तिथि

| | |
|---|---|
| (18) पक्का/कच्चा : | पक्का |
| (19) पहुँच मार्ग : | रूद्रपुर–काशीपुर रोड |
| (20) सड़क की चौड़ाई : | 7.00 मीटर |
| (21) सड़क का क्रासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए) : | $90^0$ |
| (22) सड़क का ढ़ाल यदि कोई हो | |
| (i) उत्तर से पूर्व की तरफ : | समतल |
| (ii) दक्षिण से पश्चिम की तरफ : | समतल |
| (23) सड़क का प्रकार (सीधा/गोलाई) | |
| (i) उत्तर से पूर्व की तरफ : | सीधा |
| (ii) दक्षिण से पश्चिम की तरफ : | सीधा |
| (24) 'हाइट गेज का प्राविधान' : | नहीं |
| (25) बैरियर का प्रकार : | लिफ्टिंग बैरियर |
| (26) चेक रेल की लम्बाई : | 9.00 मीटर |
| (27) समपार के मध्य सड़क का सतह : | 5.60 मीटर |
| (28) रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोधक की लम्बाई : | 8.00 मीटर |
| (29) रोड साइन : | उपलब्ध |
| (30) गति अवरोधक बोर्ड : | उपलब्ध |
| (31) टी0वी0यू0 : | 10664 अप्रैल 2009 |
| (32) अगली गणना की तिथि : | 2012 |
| (33) पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान : | है |
| (34) गेटमैनो की संरव्या : | दो |
| (35) निकटतम रेलवे चिकित्सा सहायता केन्द्र : | काशीपुर |
| (36) निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो : | बाजपुर |
| (37) उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ/नही : | हॉ |

( के0 एस0 सोनाल )
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अतुल सिंह )
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/61 बाजपुर
जारी तिथि लागू तिथि

1.2 <u>उपकरण</u> –

| | | |
|---|---|---|
| (1) | हाथ सिगनल बत्ती (K. Oil) | 02 |
| (2) | हरी हाथ झंडी | 01 |
| (3) | लाल हाथ झंडी | 03 |
| (4) | बैनर फ्लैग लाल | 03 |
| (5) | लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट | 02 |
| (6) | तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर) | 02 (स्टाप डिस्क के साथ) |
| (7) | पटाखा सिगनल | 10 |
| (8) | ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प (बैट्री लिट) | 01 |
| (9) | गेट लैम्प | 02 |
| (10) | टोमीवार | 01 |
| (11) | मोर्टार पैन (तसला) | 01 |
| (12) | फावड़ा/बेल्चा | 01 |
| (13) | दुर्मुठ | 01 |
| (14) | पिक एक्स | 01 |
| (15) | टिन केस झंडी के लिए | 01 |
| (16) | कैन मिटटी के तेल हेतु | 01 |
| (17) | बाल्टी/पानी पीने का बर्तन | 01 |
| (18) | टिन केस मस्टर शीट के लिए | 01 |
| (19) | चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते है (दृष्टि वाला) | 01 |
| (20) | गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम | 01 |
| (21) | टोकरी | 01 |
| (22) | सीटी (Thunder Whistle) | 01 |
| (23) | दीवार घड़ी | 01 |
| (24) | छोटी चेन व पैडलॉक (बूम लॉकिंग हेतु) | 02 |

( के0 एस0 सोनाल )
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अतुल सिंह )
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/61 बाजपुर
जारी तिथि लागू तिथि

## 1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख

(1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
(2) गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
(3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
(4) डियूटी रोस्टर।
(5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र।
(6) गेटमैन का बायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
(7) दुर्घटना रजिस्टर।
(8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख।
(9) निरीक्षण पुस्तिका।
(10) जन परिवाद पुस्तिका

## 1.4 गेटमैन के कर्त्तव्य :

**(1) सावधानी**

गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) **ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति**

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

(i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
(ii) दिन में गेट मैन दॉये हाथ में सिमटी लाल झण्डी तथा बायें हाथ में सिमटी हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई लिये रहेगा।
(iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
(iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) **गेट मैन की नियमित ड्यूटी**

(i) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखे।
(ii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।
(iii) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।
(iv) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे- हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

( के0 एस0 सोनाल )
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अतुल सिंह )
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(v) गेट मैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।

(vi) समपार फाटक का बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।

(vii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र स्टेशन मास्टर/बाजपुर को सूचित करेगा।

(viii) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।

(ix) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि डियूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

(x) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।

(xi) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।

(xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।

(xiii) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।

(xiv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्त्ताओं की गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हा।

(xv) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) <u>ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य</u>

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा

(i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा ।

(ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

(iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।

(iv) **किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झन्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।**

(v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए करेगा।

(vi) गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर/बाजपुर को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

( के0 एस0 सोनाल )
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अतुल सिंह )
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(5) आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगाएगा।

(ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर/बाजपुर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर/बाजपुर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते है तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा

(अ) इकहरी लाइन पर

(i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेट मैन तब पटाखे लेकर दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।

(iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गया पटाखा उठा लेगा।

(v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।

(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।

(vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहॉ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुॅचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहॉ तक पहुॅच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(viii) उसके उपरान्त गेट मैन दिन में लाल झण्डी दिखाकर एवं रात्रि में लाल ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प चालक को दिखाकर सचेत करेगा/रोकेगा।

(ब) गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या गेट या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

( के0 एस0 सोनाल )
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अतुल सिंह )
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे– वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन स्टेशन मास्टर/बाजपुर को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

## 2. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश –

**2.1 संचालन पद्धति :–** कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन फॅस न जाए। विंच को इस स्थिति में लॉक करने के लिए चाबी 'क्यू–1' को घुमाकर निकाल लेगा तथा बूम लाकिंग लीवर सं. II में चाबी 'क्यू–1' को लगाकर लीवर को रिवर्स करके चाबी 'क्यू' को निकाल लेगा जिससे बूम क्षैतिज अवस्था में लाक हो जायेगा। चाबी 'क्यू' को गेट लाज में लगे ई.के.टी. में लगाकर क्लाक वाइज घुमाकर चाबी को स्टेशन मास्टर/बाजपुर को हस्तान्तरित कर देगा। जिससे स्टेशन मास्टर/बाजुपर के पास प्रदत्त ई. के.टी. में लगी चाबी 'क्यू' मुक्त हो जायेगी। स्टेशन मास्टर/बाजपुर इस चाबी को एन्टी क्लाक वाइज धुमाकर निकाल लेगा।

गाडी के गुजरने के बाद स्टेशन मास्टर/बाजपुर चाबी 'क्यू' को ई.के.टी. में लगाकर गेटमैन को हस्तान्तरित कर देगा। गेटमैन ई.के.टी. से चाबी 'क्यू' को एन्टी क्लाक वाइज धुमाकर निकाल लेगा। इसके पश्चात चाबी 'क्यू' को बूम लाकिगं लीवर में लगाकर लीवर को सामान्य स्थिति मे करके चाबी 'क्यू–1' को एन्टी क्लाक वाइज घुमाकर निकाल लेगा। चाबी 'क्यू –1' को विन्च में लगाकर विन्च को उल्टी दिशा में तब तक संचालित करेगा जब तक कि लिफ्टिंग बैरियर ठीक ऊपर लम्बवत उठ न जाय।

गाड़ी के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नही रखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नही रखना चाहिए।

### 2.2 गेटमैन को सूचित करना :–

1. कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर किसी भी गाडी का आगमन सिगनल ऑफ करने से पूर्व अथवा प्रस्थान प्राधिकार देने से पूर्व गेटमैन को टेलीफोन द्वारा गाड़ी संरव्या, विवरण एवं दिशा सूचित करेगा।
2. गेट मैन समपार फाटक गेट को बन्द कर 'चाभी' स्टेशन मास्टर को हस्तान्तरित करेगा।
3. आगमन सिगनलों को तब तक 'ऑफ' नहीं किया जाएगा अथवा प्रस्थान आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक उसको गेटमैन द्वारा हस्तान्तरित की गई चाभी न प्राप्त हो जाए।
4. सड़क यातायात अधिक समय के लिए रूका न रहे, स्टेशन मास्टर/स्विच मैन/कॉटा वाला/केबिन मैन को, गेट मैन को सूचित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि गाड़ी प्रस्थान के लिए पूर्णरूपेण तैयार है।
5. यदि गाड़ी को 'पाइलट' करने की/शंटिंग करने की आवश्यकता पड़ती है तो पायलट करने वाला कर्मचारी/शंटिंग कर्मचारी समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए बन्द करना सुनिश्चित करेगा और उसके उपरान्त समपार फाटक को पार करेगा।

| | |
|---|---|
| ( के0 एस0 सोनाल ) | ( अतुल सिंह ) |
| मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0) | मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0 |
| पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर | पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर |

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/61 बाजपुर
जारी तिथि लागू तिथि

**नोट** :– स्टेशन मास्टर/गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग–बुक में निम्न प्रकार करेगा –

**स्टेशन मास्टर की लॉग बुक**

| तिथि | गाड़ी सं0 | गेटमैन को सूचित करने का समय | स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

**गेटमैन की लॉग बुक**

| तिथि | गाड़ी सं0 | गेटमैन द्वारा गेट बन्द करने/की–ट्रॉसमिट करने का समय | समपार से पूरी गाड़ी गुजरने का वास्तविक समय /समपार खोलने का समय | गेटमैन का हस्ताक्षर | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## 2.3 टेलीफोन संचार की विफलता :–

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा –

1. कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर गेटमैन के पास रेल कर्मचारी द्वारा लिखित सूचना भेजेगा जिसमें गाड़ी का नम्बर विवरण तथा दिशा लिखी होगी।
2. गेटमैन यह सूचना प्राप्त करने के बाद गेट को बन्द करेगा और चाबी को स्टेशन मास्टर/बाजपुर को हस्तान्तरित करेगा, जो स्टेशन मास्टर/बाजुपर को आगमन सिगनलों को ऑफ करने के लिए अथवा प्रस्थान आदेश देने के लिये प्राधिकृत कर देगा।
3. यदि गाड़ियों की आवृत्ति के कारण समुचित समय न हो तो स्टेशन मास्टर/बाजुपर गाड़ी के चालक को आगमन सिगनल 'आन' की दशा में पार करने हेतु लिखित प्राधिकार देगा।
4. इसके अतिरिक्त स्टेशन मास्टर/बाजुपर गाड़ी के चालक को लगातार सीटी बजाने एवं गेट तक सर्तकतापूर्वक बढ़ने के लिए सर्तकता आदेश देगा।
5. ड्राइवर को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नही दिखायी देता हैं तो ड्राइवर को समपार गेट के पहले रूककर अपने सहायक ड्राइवर को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द हैं तो सहायक ड्राइवर 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नही हैं तो सहायक ड्राइवर समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक है' संकेत देगा। सहायक ड्राइवर की अनुपस्थिति में ड्राइवर सहायक गार्ड की सहायता लेगा।
6. जब गाड़ी काशीपुर के तरफ से आने वाली है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन रवराब है।
7. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को ब्लॉक खण्ड में भेजने से पूर्व सतर्कता आदेश जारी करेगा।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर संकेत एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र टेलीफोन ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

( के0 एस0 सोनाल )
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अतुल सिंह )
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

## 2.4 लिफ्टिगं बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता :–

1. जब गेट रवराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित स्टेशन मास्टर/बाजपुर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर गेट रेल पथ को बाधित नही कर रहा हैं।
2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को पैडलॉक द्वारा लॉक करेगा।
3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
4. गेटमैन समपार को सड़क यातायात से रोकने के लिए सुरक्षा चेन और तालों द्वारा बन्द करेगा।
5. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के ड्राइवर को दिरवायेगा।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए एवं गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
7. जब गाड़ी काशीपुर की तरफ से आने वाली है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि गेट रवराब है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए एवं गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर संकेत एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र गेट ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग गेट ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

   **टिप्पणी** :– सभी आने वाली गाड़ियों के चालक को सिगनलों को ऑन की स्थिति में पार करने के लिए एवं सभी जाने वाली गाड़ी को नियमानुसार प्राधिकार दिया जायेगा।

## 2.5 गेट की 'चाभी' गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब 'चाभी' गेट को खोलने के लिए निकाली न जा सके :–

1. जब गेट विन्च से या एच.के.टी. से बाहर नही निकाली जा सकती तब गेटमैन् तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजुपर को प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के अन्तर्गत टेलीफोन पर सूचित करेगा।
2. इस परिस्थिति में गेट को नॉन इंटरलॉक गेट समझना चाहिए और उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
3. गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ी के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर सतर्कता आदेश जारी करेगा।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि गेट खराब है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए एवं गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

( के0 एस0 सोनाल )
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अतुल सिंह )
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

5. कार्यरत स्टेशन मास्टर जिम्मेदार एस. एण्ड टी. स्टाफ को रवराब यन्त्र के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
6. सामान्य स्थिति केवल एस. एण्ड टी. स्टाफ के मरम्मत के बाद रिक्नेक्शन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

## 2.6 'गेट चाभी' का गेट के खुली दशा में विफल हो जाना :–

1. जब गेट चाभी विन्च से बाहर निकाला जा सके तब गेटमैऩ तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजुपर को प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के अन्तर्गत टेलीफोन पर सूचित करेगा।
2. इस परिस्थिति में गेट को नॉन इंटरलॉक गेट समझना चाहिए और उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
3. गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चेन एवं ताले से संरक्षित करेगा इसके बाद वह गाड़ी को हाथ संकेत पर पास करेगा।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर सतर्कता आदेश गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ी के लिए जारी करेगा।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि गेट खुली दशा में रवराब है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए एवं गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर जिम्मेदार एस. एण्ड टी. स्टाफ को रवराब यन्त्र के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
7. सामान्य स्थिति केवल एस. एण्ड टी. स्टाफ के मरम्मत के बाद रिक्नेक्शन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

## 2.7 समपार फाटक पर अवरोध :–

1. यदि काई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो तुरन्त स्टेमा/बाजपुर को आगमन सिगनल आन करने के लिये अथवा प्रस्थान आदेश वापस लेने के लिये कहेगा।
2. समपार के दोनो तरफ आवश्यकता हेतु लगाये गये पोस्टों पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
3. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
4. यदि दो तीन प्रयासों के बाद भी कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर के द्वारा कोई प्रत्युतर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
5. गेटमैन पटाखा लेकर दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर तेजी से जिस तरफ गाड़ी का आगमन संभावित हैं, की तरफ रेल पथ को 'गेट मैनो' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संरव्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेगा।
6. तदोपरान्त गेटमैन गेट का दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।

( के0 एस0 सोनाल )
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अतुल सिंह )
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों जैसे– चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिरवकर स्टेशन मास्टर/बाजपुर को सूचित करेगा तथा स्टेशन मास्टर/बाजपुर तब तक गाड़ी को नही चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क वाहन या लिफ्टिंग बेरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहे है।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।
9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर को सूचित करेगा।
10. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर/काशीपुर सभी ट्रेन के चालको को सर्तकता आदेश जारी करेगा कि गेट को गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानी पूर्वक पार करें। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिए संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाडियो को दिखायेगा।
12. कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजुपर जिम्मेदार एस. एण्ड टी. स्टाफ को रवराब यन्त्र के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
13. सामान्य स्थिति केवल एस. एण्ड टी. स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

## 2.8 समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध :–

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर मद सं. 2.7 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेंगे यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता हैं तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नही दिया जाय।

----------------------------------------

( के0 एस0 सोनाल )
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अतुल सिंह )
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर